महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ

स्वराज संस्थान संचालनालय

रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल

क्रमांक......../म.वि.शो.पी./2022 भोपाल, अप्रैल 2022

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ अन्तर्गत स्थापित "महाराजा विक्रमादित्य जूनियर फैलोशिप" के लिये निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं:-

नियम

महाराजा विक्रमादित्य जूनियर फैलोशिप

1. **योजना का नाम-** यह योजना **"महाराजा विक्रमादित्य जूनियर फैलोशिप"** के नाम से जानी जाएगी।

2. **उद्देश्य-** महाराजा विक्रमादित्य तथा उनके युग के भारतीय इतिहास, साहित्य, शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान परम्पराओं, संस्कृति-कला रूपों के साथ ही बुद्धि कौशल तथा तकनीक के प्रमाणिक स्वरूप को सामने लाने और राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता, एकात्म राष्ट्रीय जीवन तथा देश के मध्य विद्यमान सांस्कृतिक, सामाजिक समरूप और आत्मगौरव को प्रकट करने के उद्देश्य से विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों और प्रवृत्तियों पर शोध कार्य करना।

3. **संख्या-** प्रतिवर्ष 3 जूनियर फैलोशिप प्रदान की जाएगी।

4. **फैलोशिप की राशि-** इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दिए जाने वाले सीनियर फैलोशिप कार्यक्रम को लागू किया गया है। जिसके मुताबिक जूनियर फैलोशिप की राशि प्रति अध्येता को 31,000 रुपये प्रतिमाह तथा 60,000 रुपये कंटेंजेन्सी, कुल

राशि 4,32,000/- (चार लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) होगी। जिसमें अध्येता का पारिश्रमिक, शोध कार्य के लिए की जाने वाली यात्राएं, कम्पोजिंग कार्य, स्टेशनरी एवं समस्त व्यय समाहित होंगे। यदि यूजीसी अपने फैलोशिप राशि में किसी प्रकार का कोई संशोधन या बदलाव करता है तो फैलोशिप की राशि में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा यथा समय परिवर्तन किया जाएगा।

5. **अवधि-** यूजीसी द्वारा जूनियर फैलोशिप दो वर्ष के लिए दी जाती है लेकिन महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा दी जाने वाली जूनियर फैलोशिप की अवधि बारह माह होगी। निश्चित समयावधि में ही शोध कार्य किया जाना होगा। विशेष परिस्थितियों में शोधकार्य की अवधि अधिकतम 3 माह के लिए बढ़ायी जा सकेगी। लेकिन इस अवधि के लिए फैलोशिप राशि या कंटेंजेन्सी व्यय में वृद्धि नहीं होगी।

6. पात्रता-

(क) फैलोशिप 50 वर्ष से कम आयु के अध्येताओं को प्रदान की जावेगी। आयु की गणना संबंधित वर्ष में 1 अप्रैल की स्थिति अनुसार की जावेगी।

(ख) जूनियर फैलोशिप के लिये दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विधाओं, साहित्य अथवा कलाओं में से किसी एक विषय में पी-एच.डी. उपाधिधारी भी आवेदन कर सकते हैं। कोई युवा/उदीयमान स्तरीय लेखक, पत्रकार, जिनके लेख चर्चित हो चुके हों, भी पात्र होंगे। संबंधित क्षेत्र में विशेष उपलब्धि अर्जित करने अथवा विशेषीकृत अनुसंधान का अनुभव रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

7. अन्य शर्तें-

(क) आवेदक भारत का निवासी हो।

(ख) आवेदक को फैलोशिप के दौरान किये जाने वाले शोध कार्य का एक स्पष्ट प्रोजेक्ट (लगभग 500 शब्दों में सुस्पष्ट कम्पोज किया हुआ) देना होगा, जो कि 12 माह की अवधि ने निश्चित रूप से पूरा हो सके। विशेष प्रकरण में समयावधि बढ़ाने का अधिकार महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ को होगा।

(ग) प्रस्ताव के साथ में आवेदक का परिचय व पासपोर्ट आकार के दो छायाचित्र भेजना आवश्यक होगा, साथ में अपने क्षेत्र के दो सम्मानित विद्वानों का संदर्भ परिचय देना भी अनिवार्य होगा।

(घ) फैलो को अपने कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह निदेशक, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ को प्रेषित करना होगा।

(ड) इन रिपोर्टों को एक विशेष समीक्षा समिति को भेजा जाएगा, जिसमें विषय और अन्य उपयुक्त विशेषज्ञ अपनी राय और सुझाव दे सकेंगे।

(च) फैलो को अपनी रिपोर्ट सौंपते समय महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ को अपने द्वारा किये गए शोध के निष्कर्षों की एक प्रस्तुतीकरण भी देना होगा। यदि विशेषज्ञ समीक्षा समिति को कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं लगती है तो इसे विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के समक्ष रखा जायेगा।

(छ) प्रत्येक फैलो को अपनी परियोजना के लिए काम करने के अलावा महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा समय-समय पर आयोजित चर्चाओं, सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेना और संस्थान के समग्र शैक्षणिक आयोजनों में योगदान देना आवश्यक है। इसमें संस्था द्वारा आयोजित संगोष्ठियों में अध्येताओं की नियमित भागीदारी शामिल है, जिसमें अध्येता परियोजना से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतीकरण देंगे, नई पुस्तकों या किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे जो महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा वांछित हो।

(ज) फैलोशिप स्वीकृत होने पर शोधकर्ता को प्रति त्रैमास में शोधकार्य का उचित मूल्यांकन होने के पश्चात् प्रत्येक त्रैमास में देय राशि का 50 प्रतिशत भाग रूपये 54,000 (चौवन हजार रूपये) प्रदान किया जाएगा और यदि त्रैमासिक मूल्यांकन में शोधकार्य स्तरीय नहीं पाया जाता है तो शोधकर्ता को नोटिस जारी कर शोधकार्य को स्तरीय बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि फिर भी सुधार परिलक्षित नहीं होता है तो फैलोशिप निरस्त कर दी जाएगी। फैलोशिप निरस्त होने की स्थिति में प्रदान की गयी फैलोशिप राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली का अधिकारी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ होगा। इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

(झ) यदि फेलो कार्यकाल की समाप्ति से पहले फैलोशिप छोड़ना चाहता है, तो त्याग के संबंध में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ को सूचित कर अनुमति ली जा सकती है। संतोषजनक कारण होने पर ही महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा अनुमति दी जायेगी अन्यथा उन्हें फैलोशिप की दी गई राशि महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ को वापस करनी होगी।

(ट) फैलोशिप चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को मानदेय स्वरूप रूपये 5000 (पाँच हजार रूपये) तथा मूल्यांकन विशेषज्ञ को मानदेय स्वरूप रूपये 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) दिया जाएगा।

(ठ) फैलोशिप के लिये दी जा रही राशि मुख्यतः मानदेय की भाँति होगी जो श्रेष्ठ शोध कार्य के लिये सम्मान राशि के रूप में प्रदान की जायेगी। अतः इसके लिये किसी उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, शोधकर्ता द्वारा दिये गये कार्य विवरण ही पर्याप्त होंगे।

(ड) शोध कार्य के दौरान विद्वान शोधकर्ता से परामर्श कर दोनों पक्षों की सुविधा एवं सहमति से शोध विषय पर व्याख्यान का आयोजन किसी उपयुक्त मंच पर प्रबुद्ध श्रोताओं के समक्ष किया जा सकेगा। फैलोशिप के दौरान किये गये शोध कार्य का प्रकाशन और प्रदर्शन के सभी अधिकार महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के पास होगा।

8. **चयन प्रक्रिया-**

(क) फैलोशिप प्रदान किये जाने के आवदेन-पत्र राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर अथवा महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की वेबसाइट पर सूचना प्रसारित कर अथवा पत्र के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे। प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से भी उपयुक्त नामों की सिफारिशें बुलवाई जा सकेंगी।

(ख) महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा अध्यक्ष, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के अनुमोदन से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। उपयुक्त प्रस्तावों के अभाव में समिति अपनी ओर से भी अध्येयता के नाम प्रस्तावित कर सकेगी अथवा फैलोशिप न देने का निर्णय भी ले सकेगी।

(ग) फैलोशिप के लिए वर्णित विषयों से हटकर कोई विषय विशेषज्ञ भी किसी अन्य संबंधित विषय पर फैलोशिप का प्रस्ताव स्वत:स्फूर्त कर सकता है। जिस पर चयन समिति विचार कर संबंधित प्रस्तावित विषय पर फैलोशिप दिये जाने का निर्णय कर सकेगी।

(घ) समिति की अनुशंसा के आधार पर महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा फैलोशिप प्रदान करने का निर्णय लिया जायेगा। यह निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

(ड) आवेदक का विभागीय अधिकारी-कर्मचारी से संबंध न होना अनिवार्य होगा। संबंध होने की स्थिति में फैलोशिप आवेदन पर विचार नहीं होगा।

9. **संवितरण अधिकारी-** महाराजा विक्रमादित्य जूनियर फैलोशिप महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, उज्जैन द्वारा वितरित की जावेगी।

सचिव

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ